खास खबरें

व्हाट्सऐप लिंक से 1.28 लाख की साइबर ठगी

नप्र, भोपालः राजधानी के पिपलानी थाना क्षेत्र के ए-सेक्टर सोनागिरी में एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया। शिकायत के अनुसार अज्ञात आरोपी ने व्हाट्सऐप पर लिंक भेजकर उसे ज्वाइन कराया और इसी बहाने खाते से 1 लाख 28 हजार रुपये की रकम निकाल ली। घटना ने एक बार फिर यह साफ किया है कि संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना आम नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है।

होटल में बुलाकर महिला से दुष्कर्म, दी धमकी

छोलामंदिर थाना क्षेत्र में एक महिला ने प्रशांत ठाकुर नामक आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने महिला को होटल में बुलाया, उसके साथ गलत काम किया और बाद में धमकी भी दी। इस मामले ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अशोका गार्डन में 90 हजार का फोटोकॉपी पेपर चोरी

अशोका गार्डन के औद्योगिक क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। धीरज अरोरा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें अज्ञात बदमाशों द्वारा ताला तोड़कर करीब 90 हजार रुपये कीमत का फोटोकॉपी पेपर चोरी कर ले जाने की बात कही गई है। औद्योगिक इलाके में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

एकतापुरी कॉलोनी से स्कूटी पार

अशोका गार्डन थाना क्षेत्र की एकतापुरी कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी हो गई। शिकायत के अनुसार एमपी 04 वायडब्ल्यू 7047 नंबर की स्कूटी, जिसकी कीमत करीब 20 हजार रुपये बताई गई है, अज्ञात चोर चुरा ले गए। कॉलोनी क्षेत्रों से लगातार वाहन चोरी की घटनाएं स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं।

तेज रफ्तार कार ने राहगीर को मारी टक्कर

हबीबगंज थाना क्षेत्र के अरेरा कॉलोनी इलाके में तेज और लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार एमपी 04 सीपी 6472 नंबर की कार के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए रतन सिंह लोधी को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गए। शहर में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक अनुशासन की कमी इस घटना से फिर उजागर हुई है।

24 क्वार्टर देशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार

गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के चारबाल तिराहा के पास पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। यहां मोनू बंसकार नामक युवक के कब्जे से 24 क्वार्टर देशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 2616 रुपये बताई गई है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

5 लाख दहेज की मांग को लेकर विवाहिता से प्रताड़ना

छोलामंदिर थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज हुआ है। शिकायत के अनुसार रश्मि दुबे को ससुराल पक्ष के संतोष दुबे, सीमा, मंजू और मिथलेष द्वारा 5

हाई प्रोफाइल मादक पदार्थ की तस्करी के बाद प्रदेश भर में क्राइम ब्रांच सक्रिय

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः क्राइम ब्रांच ने प्रदेश भर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पिछले दिनों इंदौर में सामने आए चर्चित मादक पदार्थ तस्करी प्रकरण की जांच अब और तेज हो गई है। दो दिन पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी से लंबी पूछताछ के बाद अब अपराध शाखा भी मामले की जांच में सक्रिय हो गई है। पुलिस और अपराध शाखा की संयुक्त जांच में मादक पदार्थ तस्करी के तार गुजरात से जुड़े होने के संकेत मिलने के बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। प्रारंभिक जांच में मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला और वित्तीय लेन-देन का संबंध गुजरात से जुड़ा पाया गया है। इसके आधार पर अपराध शाखा ने इंदौर और गुजरात के कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पूछताछ के लिए तलब करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी से दोबारा पूछताछ की तैयारी कर रही हैं। इस बार उनके संपर्क में रही एक महिला को भी नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि दोनों के बयानों से मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 10.1 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए आरोपी इरफान उर्फ गोलू चंदेरी और रॉनी भाई ने पूछताछ के दौरान कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी का नाम लिया था।

नगर निगम अमले ने शनिवार को रायसेन मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। पूरा अमला दल-बल के साथ पटेल नगर से कोकता बायपास मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दोपहर से देर शाम तक करता रहा।

साइबर ठगी और हथियार मामले में फरार आरोपी के खिलाफ उद्घोषणा जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत ने साइबर अपराध, धोखाधड़ी और आयुध अधिनियम से जुड़े मामले में फरार चल रहे आरोपी रामजी उर्फ निहाल प्रजापति उर्फ कुणाल प्रजापति के खिलाफ उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी की है। न्यायालय ने आरोपी को 31 अगस्त 2026 तक अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

न्यायालय के आदेश के अनुसार आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन उसकी तामील नहीं हो सकी। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है या स्वयं को छिपा रहा है। इसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82) के तहत उद्घोषणा जारी की गई।

मामला भोपाल क्राइम ब्रांच के अपराध क्रमांक 61/2026 से संबंधित है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66-डी तथा आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए) के तहत प्रकरण दर्ज है।

अदालत ने आरोपी को निर्देशित किया है कि वह 31 अगस्त 2026 को अथवा उससे पहले न्यायालयीन समय में जिला न्यायालय परिसर स्थित कक्ष क्रमांक एस-6 में उपस्थित होकर मामले का जवाब प्रस्तुत करे।

यह उद्घोषणा 11 जुलाई 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शरद जायसवाल द्वारा जारी की गई।

गंदगी और प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ निगम की कार्रवाई

79 मामलों में 12,100 रुपये जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम ने शहर में स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गंदगी फैलाने, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथीन का उपयोग करने, सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सीएंडडी वेस्ट) फेंकने तथा संपत्ति विरूपण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की।

शनिवार को विभिन्न जोन क्षेत्रों में 79 प्रकरणों में कुल 12 हजार 100 रुपये का स्पॉट फाइन और जुर्माना वसूला गया। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर निगम अमले ने सार्वजनिक स्थलों, बिजली के खंभों और दीवारों पर अवैध रूप से पोस्टर-बैनर लगाकर संपत्ति विरूपण करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की। साथ ही गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया।

कार्रवाई के दौरान जोन-13 में 23 मामलों में 3,300 रुपये, जोन-14 में 28 मामलों में 4,500 रुपये, जोन-15 में 16 मामलों में 2,200 रुपये तथा जोन-16 में 12 मामलों में 2,100 रुपये का स्पॉट फाइन वसूला गया।

इस प्रकार चारों जोनों में कुल 79 मामलों में 12,100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे स्वच्छता नियमों का पालन करें, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें और सार्वजनिक स्थानों को साफ-सुथरा बनाए रखने में सहयोग दें।

महिला सशक्तिकरण पर संगोष्ठी, शिक्षा और कौशल विकास पर दिया जोर

नप्र, भोपालः नगर निगम मुख्यालय अटल भवन में शनिवार को महापौर मालती राय की अध्यक्षता में 'महिला सशक्तिकरण : शिक्षा एवं कौशल के साथ आत्मनिर्भरता की ओर' विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में इग्नू के अधिकारियों, स्वसहायता समूहों की महिलाओं और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में महिलाओं के कौशल विकास, स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, बाजार तक पहुंच बनाने और आय में वृद्धि के उपायों की जानकारी दी गई। महापौर मालती राय ने कहा कि शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने स्वसहायता समूह की महिलाओं से इग्नू के माध्यम से उपलब्ध शैक्षणिक अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। इग्नू के अधिकारियों ने भी शिक्षा के महत्व और उपलब्ध पाठ्यक्रमों की जानकारी दी।

बीआईएसटी में आईईईई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

172 शोध-पत्रों पर हुई तकनीकी चर्चा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (बीआईएसटी) में आईईईई प्रायोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईसीईटीआईसीएस-2026 का सफल समापन हुआ।

'इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड सिस्टम्स' विषय पर आयोजित सम्मेलन में देश-विदेश के 300 से अधिक शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, संचार एवं नेटवर्किंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर शोध प्रस्तुत किए गए।

देश-विदेश से प्राप्त तीन हजार से अधिक शोध-पत्रों में से चयनित 172 शोध-पत्र विभिन्न तकनीकी सत्रों में प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (अमेरिका) के टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर नागापोटुराजू पिचुका ने उद्योगोन्मुख कौशल और व्यावहारिक अनुसंधान पर जोर दिया। मुख्य वक्ता कोवेस्ट्रो (अमेरिका) के वरिष्ठ एसएपी बीटीपी कंसल्टेंट राजेंद्र असुरी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और उद्योग-शिक्षा सहयोग पर विचार साझा किए। समापन सत्र में समूह सह-सचिव डॉ. संजय जैन ने प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए, जबकि निदेशक डॉ. दामोदर तिवारी ने अतिथियों का सम्मान कर आभार व्यक्त किया। सम्मेलन ज्ञान-विनिमय, अनुसंधान सहयोग और वैश्विक नेटवर्किंग का प्रभावी मंच साबित हुआ।

40 दिवसीय श्री झूलेलाल चालीहा साहिब 16 से

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः प्राचीन श्री झूलेलाल मंदिर (एच वार्ड) में सिंधी समाज के पावन पर्व 'श्री झूलेलाल चालीहा साहिब' की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। मंदिर समिति के अध्यक्ष दिनेश वाधवानी ने बताया कि देश में सुख, शांति और खुशहाली की कामना के साथ गुरुवार, 16 जुलाई से सोमवार, 24 अगस्त तक 40 दिनों का यह कठिन उपवास रखा जाएगा। चालीस दिनों तक सिंधी समाज जल देवता और इष्टदेव भगवान श्री झूलेलाल जी की आराधना में लीन रहेगा। हर रोज शाम 06 बजे से संगीतमय भजन, अखा, पूजा, आरती, अरदास और पल्लव के कार्यक्रम होंगे। आरती के बाद प्रतिदिन (40 दिनों तक) भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बैठक में समिति के सदस्य दयालदास डेटानी, नारायणदास लालवानी, भगवान तेजवानी, नरेश पेसवानी, नरेश रायचंदानी, हरीश ज्ञानचंदानी और राज मनवानी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

एलवीएस ग्रुप ऑफ स्कूल में छात्रपरिषद के चुनाव

एलबीएस स्कूल की महक और प्रेरणा किरण के अंशुल अध्यक्ष बने

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः लक्ष्मीदेवी विक्योमल शर्राफ एज्यूकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित लक्ष्मीदेवी विक्योमल शर्राफ विद्यालय एवं प्रेरणा किरण पब्लिक स्कूल में छात्र परिषद के चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से हुए। विद्यार्थियों ने मताधिकार का प्रयोग कर संघ के पदाधिकारियों को चुना।

लक्ष्मीदेवी विक्योमल शर्राफ विद्यालय के लिए अध्यक्ष- महक ठाकुर, उपाध्यक्ष- मानसी भारती, महासचिव- तन्वी मीणा, सचिव- सिमरन मारन्, सांस्कृतिक सचिव- काजल मीणा, मनोरंजन सचिव- डोली मीणा, भ्रमण सचिव- प्रियल शर्मा, वाणिज्य सचिव- वंशिका अहिरवार, विज्ञान सचिव- मोनिका मारन्, पुस्तकालय सचिव- पूजा मीणा, अनुशासन सचिव- नीलम मीणा, क्रीड़ा सचिव- वाणी खरे, स्वच्छता सचिव- मुस्कान यादव एवं प्रार्थना सचिव- खुशी शर्मा चुनी गईं।

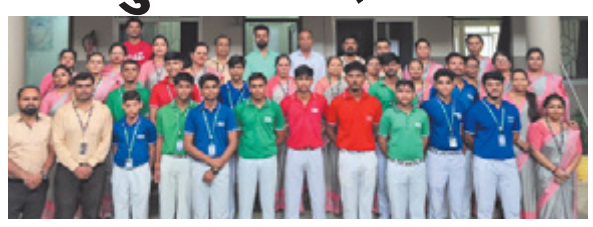

वहीं, प्रेरणा किरण पब्लिक स्कूल (वर्ष 2026-27) के लिए अध्यक्ष- अंशुल मीणा, उपाध्यक्ष- नैतिक मारन, महासचिव- राजीव चन्द्रवाल्, सचिव- शशांक विश्वकर्मा, सांस्कृतिक सचिव- सत्यम मीणा, मनोरंजन सचिव- विजय कुमार, भ्रमण सचिव- नैतिक मीणा, वाणिज्य सचिव- नमन ठाकुर, विज्ञान सचिव- दीपांश पाल, पुस्तकालय सचिव- अंश पाण्डे, अनुशासन सचिव- हर्षित सेन, क्रीड़ा सचिव- शिवा विश्वकर्मा, स्वच्छता सचिव- प्रिंस चौकसे, स्वास्थ्य सचिव- आर्यन मेहरा एवं प्रार्थना सचिव- मयंक मिश्रा चुने गए।चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिकारी रूबी बंसल, राज नाथानी, रेखा सिंह, पंकज उपाध्याय तथा चुनाव प्रभारी ब्रजकिशोर मालवीय एवं उनकी टीम ने पूरी कराई। परिणाम घोषित होने पर प्राचार्यों ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई दी। संस्था के सचिव रमेश हिंगोरानी, संचालक योगेश हिंगोरानी, प्रशासनिक अधिकारी नीलेश हिंगोरानी, प्राचार्या जयश्री ममतानी, प्राचार्य नवीन नामदेव, उप-प्राचार्य पंकज उपाध्याय ने छात्रों के हित में कार्य करने को कहा।

सिंधी कुकिंग प्रतियोगिताः सिंधी व्यंजन की महक और स्वाद रहा लाजवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः सिंधी मेला समिति द्वारा आयोजित कुकिंग कम्पटीशन के दूसरे दिन भी महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें शनिवार को महिलाओं ने विशेष रूप से पेठे की सब्जी, बीय जा पकोड़ा, कुट्टी साग, आलू जा टुक, बेसण जे चिल्ले जी भाजी जैसे अनेक सिंधी व्यंजन का प्रतियोगिता आकर्षण रहा और कॉम्पीटिशन को और भी आकर्षक बना दिया गया, जिससे उपस्थित निर्णायक मंडल को काफी असामंजस्य में डाल दिया जो इस प्रतियोगिता में चर्चा का विषय बना रहा, शनिवार को यह कॉम्पीटिशन सिंधी कॉलोनी, संत कवरराम कॉलोनी, मेपल ट्री, ग्रीन एकर्स, वैभव गार्डन कोलार, स्वागत गार्डन, ऐयरोसिटी, सिंधी कम्यूनिटी हाल, बावड़ियाँ कला में आयोजित की गई, जिसमें सिंधी समाज की लगभग दो हज़ार से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया।

सिंधी मेला समिति के अध्यक्ष मनीष दरयानी एवं महासचिव नरेश तलरेजा ने बताया कि इस वर्ष सिंधी मेला समिति द्वारा आयोजित कूकिंग कंप्टीशन में महिलाओं का अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके लिए सिंधी मेला समिति निरंतर अपने सभी साथियों के साथ मिलकर इस आयोजन को करने में सफल होती रही है।

कैंसर हॉस्पिटल में पौधरोपण और सेवा कार्य किए

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः भारत विकास परिषद, संतनगर शाखा ने कैंसर हॉस्पिटल परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सेवा भारती के सेवा कार्यों के लिए सहयोग राशि दी।

पौधरोपण के बाद सभी सदस्यों ने 'सेवा भारती' द्वारा अस्पताल के पास संचालित अन्नपूर्णा रसोई का दौरा किया। यहाँ पिछले 8 वर्षों से मरीजों के गरीब तीमारदारों (रिश्तेदारों) को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। परिषद के सदस्यों ने अपने हाथों से जरूरतमंदों को भोजन परोसा और इस पुनीत कार्य के लिए ?2100/- की सहयोग राशि भी भेंट की। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष डॉ. जी.टी. खेमचंदानी, क्षेत्रीय संस्कार संयोजक कमल प्रेमचंदानी, विमल भंडारी, धर्म प्रकाश मोटवानी, ए.सी. साधवानी, गुलाब जेठानी, विकास आसवानी, भोजराज आसूदानी और गोविंद मीरचंदानी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

10 लाख दहेज नहीं लाने पर धमकी, महिला थाना में केस

नप्र, भोपालः महिला थाना में दर्ज एक अन्य मामले में नाजिया ने अपने ससुराल पक्ष पर 10 लाख रुपये दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार नावेद खान और सितारा खान ने मांग पूरी नहीं होने पर धमकी भी दी। इस प्रकरण ने दहेज के खिलाफ कानूनों के बावजूद समाज में जारी इस कुप्रथा की गंभीरता को फिर सामने ला

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा पूर्व में नाम Begma BI उर्फ Baigam Bee था, मेरे पासपोर्ट पर Begma BI दर्ज है अब वर्तमान दस्तावेजों में मेरा नया एवं पूरा नाम/स्पेलिंग Baigam Bee W/O Subrati Khan निवासी- पोस्ट सतपाड़ा हाट, तहसील शमशाबाद विदिशा (मध्य प्रदेश) 464221 हो गया है अब मुझे इसी नाम Baigam Bee से जाना व पहचाना जाए।

न्यायालय तहसीदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक- 323/अ-12/2026-27
मौजा-खारपी

उद्घोषणा पत्र

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। कि आवेदक श्रीमती तारावती सोनी W/O जी.पी. सोनी नि. 477 नेहरू नगर कोटरा सुल्तानाबाद प्र. ने द्वारा म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन पत्र के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 375/438 रकबा 0.800 में से 0.1012 हे. स्थित ग्राम खारपी प.ह.न. 65 तहसील हुजूर जिला भोपाल का सीमांकन दिनांक 19/05/26 किया गया है। सीमांकन की पुष्टि हेतु न्यायालय में प्राप्त उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 20/07/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एंव मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10/07/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

913

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

आरसीएस ए/234/2026
सुमित रंजन (झिरा) बनाम सर्वसाधारण
NEXT DATE :28-07-2026

प्रेषिती, सर्वसाधारण पता-सर्वसाधारण यह कि प्रार्थी सुमित रंजन (झिरा) ने आपके विरूद्ध आरसीएस ए/234/2026 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 14-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्यायाधीश
पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

912

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रॉपर्टी आई.डी. नं. 1650200065, आवेदन क्रमांक 11934 आवेदन दिनांक-24/04/2026
क्रमांक 2294 /राजस्व/भोविप्रा/26 भोपाल दिनांकः 10/07/2026

आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की इन्द्रपुरी योजना स्थित भूखण्ड क्रमांक-1 सेक्टर-ए मेसर्स के.के. राणा एण्ड एसोसिएट एवं मेसर्स पन्नालाल एवं चन्द्रलेखा एवं अन्य के नाम पर अंकित है। मूल आंव के मुख्तारआम श्री डी.के. गोयल आ. श्री पी.डी. गोयल द्वारा उक्त भूखण्ड पर निर्मित दुकान नं.-जी-13 भूतल जिसका क्षेत्रफल 17.84 वर्गमीटर का विक्रय दिनांक 02/03/2000, मध्यप्रदेश महिला कल्याण समिति भोपाल द्वार श्रीमती विमला शर्मा पत्नी स्व श्री शंकरदयाल शर्मा को किया गया है। श्रीमती विमला शर्मा पत्नी स्व श्री शंकरदयाल शर्मा के मुख्तारआम श्रीमती राजलक्ष्मी गार्गव पत्नी श्री नरेन्द्र गार्गव द्वारा पुनः उक्त दुकान नं.-13 भूतल जिसका क्षेत्रफल 17.84 वर्गमीटर का विक्रय दिनांक 11/07/2013, श्री गौरव शिवहरे आ. श्री बी.डी. शिवहरे को कर विक्रय पत्र पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त दुकान नं)-जी-13 भूतल जिसका क्षेत्रफल 17.84 वर्गमीटर का नामान्तरण /नाम सम्मिलित अपने नाम पर चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति /उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साषये/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/ दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साषये/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/ दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

911

पुर्नस्थापन आदेश की सार्वजनिक सूचना

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इन्दौर पीठ द्वारा कम्पनी याचिका संख्या सी.पी./1 (एम.पी) 2026 में, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 252 (3) के अन्तर्गत पारित पुर्नस्थापन आदेश के संबंध में सार्वजनिक सूचना नितिन कुमार शर्मा, संचालक एवं अंशधारी, नितिन एल.पी.जी. प्रायवेट लिमिटेड बनाम कम्पनियों के रजिस्ट्रार ग्वालियर म.प्र. ।

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त कंपनी याचिका ने माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण इन्दौर पीठ द्वारा दिनांक 25.06.2026 को अंतिम आदेश पारित किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 252 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मान्नीय अधिकरण ने प्रतिवादी/कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा की गई कम्पनी का नाम विलोपन की कार्यवाही को निरस्त कर दिया है तथा कम्पनी रजिस्ट्रार ग्वालियर म.प्र. को निर्देशित किया गया है कि वे मेसर्स नितिन एल.पी.जी. प्रायवेट लिमिटेड पहचान संख्या U51102MP1999PTC013652, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-70,कृष्णा अपार्टमेन्ट,कस्तूरबा नगर भोपाल (म.प्र.) 462011 में स्थित है, का नाम पुनः कम्पनी अभिलेख में स्थापित करें तथा आदेश का प्रभावी भाग निम्नानुसार पुनरुत्तादित किया जाता है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 252 के अन्तर्गत इस अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकरण निम्नलिखित निर्देश जारी करता है-(क.) कम्पनी रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश ग्वालियर को निर्देशित किया जाता है कि कम्पनी अर्थात मेसर्स नितिन एल.पी.जी. प्रायवेट लिमिटेड पहचान संख्या U51102MP1999PTC013652, का नाम रजिस्टर में इस प्रकार पुनः बहाल किया जाये मानो उसका नाम कभी विलोपित ही न किया गया हो तथा इसके परिणामस्वरुप एवं अनुसंगिक कार्यवाहियां की जाये। जिनमें कम्पनी की स्थिति को नाम विलोपित से प्रतिवर्तित कर सकिय किया जाना भी सम्मिलित है। (ख.) कम्पनी का नाम पुर्नस्थापित किया जाना इस शर्त के अन्तर्गत होगा कि अपीलकर्ता भारत सरकार की संचित निधि में भारतकोष के माध्यम से 1,00,000/- एक लाख रुपयें की लागत राशि जमा करेगा तथा उक्त भुगतान का प्रमाण इस आदेश की तिथी से तीस (30) दिनों के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार के साथ प्रस्तुत करेगा उक्त भुगतान किये जाने पर कंपनी के जो बैंक खाते स्थगित (फ्रीज) किये गये है उन्हें पुनः संचालित (डी-फ्रीज) किया जायेगा। (ग.) अपीलकर्ता इस आदेश की प्रति आदेश की तिथी से तीस (30) दिनों के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार के समक्ष दाखिल करेंगा। कम्पनी रजिस्ट्रार अधिरोपित लागत राशि के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन का सत्यापन करने के उपरान्त ही इस आदेश को प्रभावी करेगा। (घ.) कम्पनी का नाम पर्नस्थापित किये जाने के पश्चात कम्पनी सभी लंबित वैधानिक अभिलेख, जिनमें-तुलन पत्र, लाभ एवं हानी विवरण, वैधानिक लेखा परीक्षक प्रतिवेदन, निदेशक प्रतिवेदन तथा वार्षिक विवरणियों का, नियत शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, जुर्माना अथवा दंड (जैसे कि कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित किया जाये) सहित, कंपनी रजिस्टर में नाम पुर्नस्थापित किये जाने की तिथि से 60 दिनों के भीतर दाखिल करेगी तथा उक्त दाखिल लगी पूर्ण होने पर उसका अनुपालन प्रतिवेदन इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। (ड.) अपीलकर्ता इस आदेश की तिथी से तीस (30) दिनों के भीतर अपने स्वयं के व्यय पर एक व्यापक प्रसार वाले अंग्रेजी समाचार पत्र तथा एक व्यापक प्रसार वाले हिन्दी समाचार पत्र में इस अधिकरण के आदेश का प्रकाशन करायेगा। अपीलकर्ता इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन हेतू निर्धारित प्रकरण व्यय भी कार्पोरेट कार्य मंत्रालय मुम्बई के वेतन एवं लेखा अधिकारी के पास जमा करेंगा तथा उसका प्रमाण कम्पनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (च.) यह आदेश केवल उन उल्लघनों तक सीमित रहेगा जिनके आधार पर कंपनी का नाम विलोपित करने की कार्यवाही की गई तथा वह कंपनी रजिस्ट्रार को यदि कंपनी द्वारा नाम विलोपन से पूर्व अथवा नाम विलोपन की अवधि के दौरान कोई उल्लंघन अथवा अपराध किया गया हो तो विधि के अनुसार अनुमेय उपयुक्त कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में हुई किसी भी चूक से उत्पन्न ऐसे उल्लंघनों अथवा अपराधों को विधि अनुसार